प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 26.07.2026

थाना टीला मोड़ पुलिस टीम द्वारा दुष्कर्म की घटना कारित करने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरणः- दिनांक 25.07.2026 को थाना टीलामोड़ पर वादिया की लिखित तहरीर के आधार पर वादिया की नाबालिग पुत्री के साथ राहुल द्वारा वादिया की पुत्री के साथ दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार थाना टीलामोड़ पर धारा 65(1) बीएनएस व 3/4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। उपरोक्त घटना के क्रम में दिनांक 26.07.2026 को थाना टीलामोड़ टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर दुष्कर्म की घटना करने वाला वांछित अभियुक्त राहुल पुत्र रामपाल निवासी देव नाथ मंदिर मिर्दही टौला थाना कोतवाली नगर सीतापुर हाल पता पंचशील कालोनी झुग्गी झोपड़ी थाना टीलामोड़ गाजियाबाद उम्र करीब 26 वर्ष को कोयल एन्कलेव गेट के पास से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि अभियुक्त व वादिया दोनो पडौस में झुग्गियों में रहते थे और दिनांक 06.07.26 को जब वादिया काम पर चली गयी तो अभियुक्त ने मौका पाकर वादिया की झुग्गी में जाकर वादिया की नाबालिग पुत्री के साथ गलत काम किया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1.राहुल पुत्र रामपाल निवासी देव नाथ मंदिर मिर्दही टौला थाना कोतवाली नगर सीतापुर हाल पता पंचशील कॉलोनी झुग्गी झोपड़ी थाना टीलामोड़ गाजियाबाद उम्र करीब 26 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभि0 राहुल उपरोक्त के विरूद्ध उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में थाना टीलामोड़ पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम।

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा घर से 25 – 30 लाख रुपये की ज्वैलरी की चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का सारा सामान बरामद।

दिनांक 25.07.2026 को वादिया श्रीमती रीतू गोयल निवासी सुदामापुरी थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद द्वारा थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर एक तहरीर दी कि दिनांक 18.07.2026 को जब वे अपने पति व छोटे बेटे के साथ खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए गयी थी तो घर से किसी अज्ञात चोर द्वारा घर से ज्वैलरी को चोरी कर लिया है। इस सूचना पर तत्काल थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक धारा 305a बी.एन.एस के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के सफल अनावरण हेतु पुलिस टीमों का गठन करते हुए घटना स्थल के आस पास सीसीटीवी कैमरो को चैक किया गया तथा मैनुअल इन्पुट्स के आधार पर घटना का 12 घंटे के अंदर खुलासा किया गया।

आज दिनांक 26.07.2026 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा घटना कारित करने वाले अभियुक्त अनन्त मिश्रा पुत्र संजय मिश्रा निवासी ग्राम जाजलपुर थाना अलीगंज जिला एटा उम्र 25 वर्ष को मुखबिर की सूचना पर सुदामापुरी बिजलीघर के पास थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से उपरोक्त घटना से सम्बन्धित चोरी का सामान (1) 3 सोने के हार (2) 2 डायमण्ड सैट (3) 5 जोडी कानों की झुमकी सोने की (4) 2 कानों की लटकन सोने की (5) 4 कंगन सोने के बरामद हुए। अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर जुर्म को स्वीकार करते हुए बताया कि मैं करीब 01 वर्ष से वादिया के मकान मे किराये पर निवास कर रहा था। मेरे मकान मालिक के साथ अच्छे सम्बन्ध थे, जिस कारण मकान मालिक मुझ पर विश्वास करते थे, दिनांक 18.07.2026 को जब वादिया अपने पति व बेटे के साथ खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए गयी थी तो रात्रि में मौका पाकर मैंने घर में रखी अलमारी का ताला तोडकर ज्वैलरी को चोरी कर लिया था कि मुझे पूरा यकीन था कि मुझ पर किसी को शक नही होगा परन्तु पुलिस ने मुझे पकड लिया और मुझसे चोरी का सारा सामान बरामद कर लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

अनन्त मिश्रा पुत्र संजय मिश्रा निवासी ग्राम जाजलपुर थाना अलीगंज जिला एटा उम्र 25 वर्ष।

बरामदगी का विवरण –

(1) 3 सोने के हार
(2) 2 डायमण्ड सैट
(3) 5 जोडी कानों की झुमकी सोने की
(4) 02 कानों की लटकन सोने की
(5) 4 कंगन सोने के

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्त के विरुद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर उपरोक्त घटना से सम्बन्धित 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम।

थाना वेवसिटी पुलिस द्वारा हत्या की घटना को अंजाम देने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 23.07.2026 को श्री मनोज कुमार निवासी काजीपुरा वेवसिटी गाजियाबाद के ज्वार के खेत में एक अज्ञात महिला का शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई। उक्त महिला के गले को किसी धारदार हथियार से काटा गया था खेत स्वामी श्री मनोज कुमार की तहरीर के आधार पर कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा अज्ञात महिला उम्र करीब 20 वर्ष से 22 वर्ष की हत्या कर शव को वादी के खेत मे छुपाने के सम्बन्ध में थाना वेव सिटी पर अन्तर्गत धारा 103(1)/238 बीएनएस बनाम अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया तथा तत्काल अज्ञात अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु थाना वेव सिटी पर टीमों का गठन किया गया। घटना के सफल अनावरण हेतु लगभग 400 से 500 CCTV कैमरों की फुटेज चेक की गयी तथा संदिग्ध व्यक्ति व वाहन स्वामियों से पूछताछ की गयी तथा घटनास्थल का बेस ट्रांसीवर

स्टेशन (बीटीएस) का डाटा लेकर घटनास्थल के आसपास उस दौरान चल रहे मोबाइल नम्बरों का लोकेशन व मूवमेन्ट का विश्लेशण कर यह पता लगाने का प्रयास किया गया कि घटना के समय कौन कौन लोग घटनास्थल के आसपास मौजूद थे।

तत्पश्चात दिनांक 26.07.2026 को थाना वेवसिटी पुलिस टीम एवं स्वॉट टीम एंव सर्विलांस टीम नगर जोन कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा मेनुअल इनपुट के आधार पर उपरोक्त अभियोग में साक्ष्य संकलन के आधार पर हत्या की घटना को अंजान देने वाले अभियुक्त दीपक कुमार पुत्र तोलन प्रसाद नि0 गांव बंधवाताल पोस्ट हरैया नानकार थाना बांसी जनपद सिद्धार्थ नगर उत्तर प्रदेश उम्र 24 वर्ष को हत्या करने में प्रयुक्त किया गया आरी के ब्लेड के साथ काजीपुरा शराब के ठेके के पास बनी झुग्गी झोपडी से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ मे बताया कि मैं जिला सिद्धार्थनगर का रहने वाला हूँ और दिल्ली NCR क्षेत्र में जो नई बिल्डिंग/घर बनते है उनमें रंग/POP करने का काम करता हूँ और अब मैं वेवसिटी में जो नई बिल्डिंग बन रही है उसमें पेन्ट/POP का काम कर रहा हूँ। मेरी बहन मृतका रीमा जिसके बारे में मुझे पता चला था कि वह किसी लडके से बात करती है तो मैने अपनी बहन रीमा उम्र 18 वर्ष को काफी समझाया था कि ऐसा मत कर परन्तु मेरी बहन रीमा नही मान रही थी और दिनांक 22.07.2026 को मै इसी बात को लेकर अपनी बहन रीमा को समझा रहा था कि तभी वह कहने लगी कि मैं उसी लडके से शादी करूगीं, चाहे तुम कुछ भी कर लो और तभी मुझे अचानक बहुत गुस्सा आ गया और मैने अपनी बहन रीमा को ग्राम काजीपुरा के पास एक ज्वार के खेत के पास गला दबाकर एवं पेन्ट/POP के काम में प्रयोग होने वाले आरी के ब्लेड से उसका गला काटकर हत्या कर दी और उसके शव को वही उसी ज्वार के खेत में छिपाकर मैं यहाँ से भाग गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

- दीपक कुमार पुत्र तोलन प्रसाद नि0 गांव बंधवाताल पोस्ट हरैया नानकार थाना बांसी जनपद सिद्धार्थ नगर उत्तर प्रदेश उम्र 24 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

- हत्या करने में प्रयुक्त आरी का एक ब्लेड

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास–

अभियुक्त के विरूद्ध थाना वेव सिटी पर उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है।
अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना वेवसिटी पुलिस टीम
स्वॉट टीम नगर जोन कमिश्नरेट गाजियाबाद
सर्विलांस टीम नगर जोन कमिश्नरेट गाजियाबाद

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से 01 अवैध चाकू बरामद।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 25.07.2026 को थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग के दौरान मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर आनन्द विहार ठेके के पास से एक अभियुक्त विनोद गौर पुत्र भागीरथ गौर निवासी ग्राम सीगनपुर भघारी, थाना कबरई, जनपद महोबा, हाल निवासी रंगोली मंडप के पास झुग्गी, थाना

नौचंदी, जनपद मेरठ, उम्र करीब 24 वर्ष को **01 अवैध चाकू** सहित गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर थाना कौशाम्बी पर धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने बताया कि वह अपने पास बरामद चाकू को लोगों को डराने-धमकाने के उद्देश्य से रखता था तथा राह चलते व्यक्तियों से पैसे एवं सामान छीनकर अपने शौक पूरे करता था। आज भी वह इसी उद्देश्य से जा रहा था, तभी पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. विनोद गौर पुत्र भागीरथ गौर निवासी ग्राम सीगनपुर भघारी, थाना कबरई, जनपद महोबा, हाल निवासी रंगोली मंडप के पास झुग्गी, थाना नौचंदी, जनपद मेरठ, उम्र करीब 24 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

• 01 अवैध चाकू

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

1. धारा 4/25 आर्म्स एक्ट, थाना कौशाम्बी, कमिश्नरेट गाजियाबाद।
   अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम।

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान गैस सिलेंडर चोरी करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के 06 गैस सिलेंडर एवं घटना में प्रयुक्त कार बरामद।

कार्यवाही का विवरणः-दिनांक 24.07.2026 को थाना टीलामोड़ पर वादी अरविन्द पासवान पुत्र सिकन्दर पासवान निवासी 06, अम्बेडकर कॉलोनी, थाना टीलामोड़, गाजियाबाद की लिखित तहरीर के आधार पर वादी के गैस सिलेंडरों से लदे वाहन से अभियुक्त नरेन्द्र पुत्र सियाराम द्वारा 05 किलोग्राम वाले 06 गैस सिलेंडर अपनी कार में रखकर चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना टीलामोड़ पर धारा 303(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। उक्त घटना के अनावरण एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा लगातार सुरागरसी एवं मुखबीर तंत्र को सक्रिय किया गया। इसी क्रम में दिनांक 25.07.2026 को थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान फर्रूखनगर रोड से अभियुक्त नरेन्द्र पुत्र सियाराम निवासी सकलपुरा, थाना लोनी, जनपद गाजियाबाद, उम्र करीब 51 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से चोरी के 05 किलोग्राम वाले 06 भरे हुए एचपी गैस सिलेंडर तथा घटना में प्रयुक्त मारूति सुजुकी विक्टोरियस कार बरामद की गई। बरामदगी के आधार पर थाना टीलामोड़ पर पंजीकृत अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी कर अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि वह नशे का आदी है । दिनांक 23.07.2026 को उसने एक एचपी गैस प्लांट के बाहर गैस सिलेंडरों से लदे ट्रक को खड़ा देखा । मौका पाकर उसने ट्रक से 05 किलोग्राम वाले 06 गैस सिलेंडर चोरी कर अपनी कार में रख लिए और वहां से फरार हो गया। अभियुक्त ने बताया कि वह चोरी किए गए गैस सिलेंडरों को कम कीमत पर बेचकर प्राप्त धनराशि से अपने नशे एवं अन्य शौक पूरे करता है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. नरेन्द्र पुत्र सियाराम निवासी सकलपुरा, थाना लोनी, जनपद गाजियाबाद, उम्र करीब 51 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

• चोरी के 06 गैस सिलेंडर (05 किलोग्राम, भरे हुए, एचपी मार्का)।
• घटना में प्रयुक्त 01 मारूति सुजुकी विक्टोरियस कार।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

1. वर्तमान अभियोग, थाना टीलामोड़, कमिश्नरेट गाजियाबाद।
2. थाना खोड़ा पर हत्या का 01 अभियोग।
3. थाना खोड़ा पर गैंगस्टर एक्ट का 01 अभियोग।

अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा धोखाधड़ी के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार ।

दिनांक 31.03.2026 को थाना ट्रोनिका सिटी पर वादिया श्रीमती कौशल देवी निवासी सादाबाद डुगरावली लोनी गाजियाबाद ने तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1. पंकज पुत्र बांकेलाल 2. मीना पत्नी पंकज 3. फाईनेंस कम्पनी वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेट लि० कम्पनी करोल बाग दिल्ली द्वारा लोन की धनराशि चुकाये बिना वादिया के साथ धोखाधडी कर फर्जी व कूटरचित दस्तावेज तैयार कर प्लांट बेच देना, गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में था जिसके सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना ट्रोनिका सिटी पर सुसंगत धारा-318(4)/338/ 336(3)/ 340(2)/ 352/ 351(3) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया । अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया ।

तत्पश्चात दिनांक 25.07.2026 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त पंकज पुत्र बांके लाल हाल निवासी पक्की खजूरी थाना खजूरी दिल्ली, मूल निवासी ग्राम विथार थाना गौरा बादशाहपुर जिला जौनपुर उम्र करीब 35 वर्ष को थाना क्षेत्र ट्रोनिका सिटी से गिरफ्तार किया गया । अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैंने ग्राम अगरौला थाना ट्रोनिका सिटी में स्थित अपने प्लांट पर बैंक से लोन ले रखा था । मैंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर षंडयन्त्र कर उपरोक्त प्लांट को कौशल देवी को बेच दिया था ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

पंकज पुत्र बांके लाल हाल निवासी पक्की खजूरी थाना खजूरी दिल्ली, मूल निवासी ग्राम विथार थाना गौरा बादशाहपुर जिला जौनपुर उ0प्र0, उम्र करीब 35 वर्ष ।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्त के विरुद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।